COURT FEE भारत बीस रुपये TWE | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

13

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि. /3023/I/15

प्र. क्र. / 15

अवधेश शर्मा पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद शर्मा

निवासी ग्राम नावली तह. गोहद जिला भिण्ड

--- आवेदक

बनाम

फौत - कलावती द्वारा वारिसान

1. बलवीर पुत्र कैलाश नारायण , उम्र 40 वर्ष

2. रनवीर पुत्र कैलाश नारायण , उम्र 37 वर्ष

3. ओम प्रकाश , रामसेवक , राधेश्याम मुन्नालाल

पुत्रगण रामरतन समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी

कस्बा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

4. नाथूराम पुत्र रामसिंह

5. प्रभूदयाल पुत्र गरीबे निवासीगण गोहद

6. श्रीमती महादेवी पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम

तोर्ड वाली माता तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

--- अनावेदकगण

दिनांक 8.9.15 को श्री रामसेवक शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत/

8.9.15

50

(राकेश शर्मा एड०)

8.9.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.8.15 व 17.8.15 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार गोहद प्र. क्र. 17/2010-11 अ 27 कलावती विरूद्ध द्वारका प्रसाद के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

हम आवेदकगण की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हम आवेदकगण एवं

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3023–एक/15 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 17/2010–11/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 14–8–15 एवं 17–8–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । प्रथमतः यह निगरानी तहसीलदार के 2 अंतरिम आदेशों के विरूद्ध पेश की गई है जबकि पृथक–2 निगरानी प्रस्तुत की जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 14–8–15 में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है केवल इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि व्यवहार न्यायालय से अपील का निराकरण हो चुका है अतः प्रकरण में कार्यवाही संचालित की जाये । आदेशिका दिनांक 17–8–15 में मृतक के वारिसों को अभिलेख पर लिए जाने का आदेश दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की को अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । 3/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	